

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2024-फाल्गुन 18, शक 1945

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

कार्यालय, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2024

Scheme Name :- भैरोपुर, मिसरोद, बागली 30 मीटर मार्ग

Scheme No. :- TDS 213/BHO/2023

प्ररूप सोलह

मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय के पत्र दिनांक 24-01-2024 के परिप्रेक्ष्य में तथा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 50 की उपधारा (1) के अधीन एतद्वारा घोषित किया जाता है कि भोपाल विकास, भोपाल नगर विकास स्कीम क्रमांक-TDS 213/BHO/2023 अर्थात् ग्राम मिसरोद, बागली एवं भैरोपुर क्षेत्र में 30 मी. मार्ग बनाने का आशय रखता है. स्कीम में सम्मिलित किये गये खसरा क्रमांक निम्नानुसार हैं:-

| क्र. | भू स्वामी का नाम | खसरा नम्बर | क्षेत्रफल हेक्टर में | स्कीम में सम्मिलित क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
|------|------------------|------------|----------------------|---|
| (1)  | (2)              | (3)        | (4)                  | (5)                                       |

ग्राम भैरोपुर, तहसील कोलार:-

|    |  |         |       |       |
|----|--|---------|-------|-------|
| 1. | गोरी गंगवानी पत्नी राजेश गंगवानी       | 215/1   | 0.080 | 0.080 |
| 2. | राजेश गंगवानी पुत्र मोहनलाल गंगवानी    | 215/2/1 | 0.440 | 0.440 |
| 3. | मोहनलाल गंगवानी पुत्र कक्कूलाल गंगवानी | 215/3   | 0.010 | 0.010 |
| 4. | मोहनलाल गंगवानी पुत्र कक्कूलाल गंगवानी | 215/4/1 | 0.275 | 0.275 |
| 5. | गोरी गंगवानी पत्नी राजेश गंगवानी       | 216     | 0.250 | 0.250 |

| (1) | (2)  | (3)         | (4)   | (5)   |
|-----|--|-------------|-------|-------|
| 6.  | गोरी गंगवानी पत्नी राजेश गंगवानी           | 217 / 1     | 0.140 | 0.140 |
| 7.  | गोरी गंगवानी पत्नी राजेश गंगवानी           | 217 / 2     | 0.310 | 0.310 |
| 8.  | गोरी गंगवानी पत्नी राजेश गंगवानी           | 217 / 3 / 1 | 0.090 | 0.090 |
| 9.  | गोरी गंगवानी पत्नी राजेश गंगवानी           | 218 / 1     | 0.120 | 0.120 |
| 10. | गोरी गंगवानी पत्नी राजेश गंगवानी           | 222 / 1     | 0.070 | 0.070 |
| 11. | गोरी गंगवानी पत्नी राजेश गंगवानी           | 222 / 2 / 1 | 0.250 | 0.250 |
| 12. | श्रीमती बैजेन्तीमाला पत्नी मोहनलाल गंगवानी | 217 / 3 / 2 | 0.600 | 0.600 |
| 13. | मोहनलाल गंगवानी पिता कक्कूलाल गंगवानी      | 218 / 2     | 0.120 | 0.120 |
| 14. | मोहनलाल गंगवानी पिता कक्कूलाल गंगवानी      | 219         | 0.050 | 0.050 |
| 15. | मोहनलाल गंगवानी पिता कक्कूलाल गंगवानी      | 220         | 0.120 | 0.120 |
| 16. | मोहनलाल गंगवानी पिता कक्कूलाल गंगवानी      | 222 / 3     | 0.060 | 0.060 |
| 17. | मोहनलाल गंगवानी पिता कक्कूलाल गंगवानी      | 221 / 1 / 1 | 0.140 | 0.140 |
| 18. | राजेश गंगवानी पुत्र मोहनलाल गंगवानी        | 221 / 2 / 1 | 0.500 | 0.500 |
| 19. | राजेश गंगवानी पुत्र मोहनलाल गंगवानी        | 221 / 3 / 1 | 0.145 | 0.145 |
| 20. | राजेश गंगवानी पुत्र मोहनलाल गंगवानी        | 222 / 4     | 0.790 | 0.790 |
| 21. | श्रीमती बैजेन्तीमाला पत्नी मोहनलाल गंगवानी | 222 / 2 / 2 | 0.380 | 0.380 |
| 22. | श्रीमती बैजेन्तीमाला पत्नी मोहनलाल गंगवानी | 222 / 5     | 0.090 | 0.090 |
| 23. | श्रीमती बैजेन्तीमाला पत्नी मोहनलाल गंगवानी | 223 / 1     | 0.560 | 0.560 |
| 24. | श्रीमती बैजेन्तीमाला पत्नी मोहनलाल गंगवानी | 223 / 2     | 0.090 | 0.090 |
| 25. | श्रीमती बैजेन्तीमाला पत्नी मोहनलाल गंगवानी | 224 / 1     | 0.130 | 0.130 |
| 26. | श्रीमती बैजेन्तीमाला पत्नी मोहनलाल गंगवानी | 224 / 2     | 0.090 | 0.090 |
| 27. | सतीश चन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 225 / 1     | 0.242 | 0.242 |
| 28. | गुलाबचन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 225 / 2     | 0.177 | 0.177 |
| 29. | सतीश चन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 226 / 1     | 0.210 | 0.210 |
| 30. | गुलाबचन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 226 / 2     | 0.280 | 0.280 |
| 31. | सतीश अग्रवाल                               | 227 / 1 / 1 | 0.167 | 0.167 |
| 32. | गुलाबचन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल        | 227 / 2 / 1 | 0.203 | 0.203 |
| 33. | श्रीमति मालती शर्मा पत्नि जगदीश शर्मा      | 228         | 0.480 | 0.480 |
| 34. | जिनेन्द्र कुमार सामधिया                    | 233         | 0.470 | 0.470 |
| 35. | जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा     | 234         | 0.320 | 0.320 |

| (1) | (2)   | (3)             | (4)          | (5)          |
|-----|---|-----------------|--------------|--------------|
| 36. | श्रीमति मालती शर्मा पत्नि जगदीश शर्मा   | 237             | 0.410        | 0.410        |
| 37. | श्रीमति मालती शर्मा पत्नि जगदीश शर्मा   | 238             | 0.050        | 0.050        |
| 38. | संतोष कुमार पिता जे पी चौबे   | 232             | 0.170        | 0.170        |
| 39. | शिव कुमार समाधिया   | 235             | 0.150        | 0.150        |
| 40. | सतीश चन्द्र पुत्र रामनारायण अग्रवाल   | 285/1/1         | 0.023        | 0.023        |
| 41. | जगदीश प्रसाद शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा  | 285/2/1         | 0.027        | 0.027        |
| 42. | मेसर्स एस.एस. एसोसिएट्स भागीदार सविता जैन   | 286/1           | 0.060        | 0.060        |
| 43. | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल  | 368             | 0.500        | 0.100        |
| 44. | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल  | 369             | 0.410        | 0.410        |
| 45. | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल  | 370             | 0.220        | 0.176        |
| 46. | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल  | 400             | 2.520        | 2.520        |
| 47. | महेन्द्र सिंह पुत्र मुंशीलाल  | 409             | 1.490        | 1.490        |
| 48. | अर्जुनसिंह पुत्र करनसिंह  | 371             | 0.490        | 0.196        |
| 49. | अर्जुनसिंह पुत्र करनसिंह  | 372             | 0.360        | 0.036        |
| 50. | अरविन्द कुमार पुत्र गुलाबचन्द्र   | 381/1/1         | 0.020        |              |
| 51. | आल इंडिया सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे  | 381/1/2         | 0.640        |              |
| 52. | आई सेक्ट भोपाल द्वारा सिद्धार्थ चतुर्वेदी<br>पिता श्री संतोष चौबे                     | 381/2           | 0.840        |              |
|     | <b>बटान उपलब्ध नहीं</b>   | <b>कुल रकबा</b> | <b>1.500</b> | <b>0.600</b> |
| 53. | आई सेक्ट लि. द्वारा डायरेक्टर सिद्धार्थ चतुर्वेदी                                     | 229             | 0.110        | 0.110        |
| 54. | आल इंडिया सोसा फार इले. एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे | 231             | 0.170        | 0.170        |
| 55. | आल इंडिया सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे  | 236             | 0.040        | 0.040        |
| 56. | आल इंडिया सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे  | 239             | 0.160        | 0.160        |
| 57. | आल इंडिया सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे  | 240             | 0.100        | 0.100        |
| 58. | आल इंडिया. सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे | 241             | 0.100        | 0.100        |

| (1)                     | (2)   | (3)             | (4)          | (5)          |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 59.                     | आल इंडिया सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे            | 242             | 0.200        | 0.200        |
| 60.                     | आल इंडिया सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे            | 243             | 0.220        | 0.220        |
| 61.                     | ऑल इंडिया सोसा फार इले एंड कम्प्यू आई से द्वारा<br>श्री संतोष चौबे पिता जगन्नाथ चौबे            | 244             | 0.170        | 0.170        |
| 62.                     | जमूना प्रसाद पिता मिठठूलाल  | 246 / 1 / 1     | 0.500        |              |
| 63.                     | ऑल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 246 / 1 / 2     | 0.160        |              |
| 64.                     | श्रीमती प्रेम बाई पत्नि अजय सिंह  | 246 / 2 / 1     | 0.670        |              |
| 65.                     | आल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 246 / 2 / 2     | 0.040        |              |
| <b>बटान उपलब्ध नहीं</b> |   | <b>कुल रकबा</b> | <b>1.370</b> | <b>0.400</b> |
| 66.                     | आल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 254             | 0.090        | 0.090        |
| 67.                     | आल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 255             | 0.080        | 0.080        |
| 68.                     | आल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 256             | 0.080        | 0.080        |
| 69.                     | आल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 257             | 0.110        | 0.110        |
| 70.                     | आल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 258             | 0.110        | 0.110        |
| 71.                     | आल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 259             | 0.200        | 0.045        |
| 72.                     | आल इंडिया सोसाईटी फार इलेक्ट्रीकल आई सं   | 287 / 1         | 0.080        | 0.080        |
| 73.                     | जयकिशन पिता गौरी शंकर डागा  | 382             | 0.360        | 0.360        |
| 74.                     | जयकिशन पिता गौरी शंकर डागा  | 389 / 3         | 0.330        | 0.330        |
| 75.                     | जयकिशन पिता गौरी शंकर डागा  | 395 / 1         | 0.290        | 0.290        |
| 76.                     | जयकिशन पिता गौरी शंकर डागा  | 396             | 0.300        | 0.300        |
| 77.                     | ललित कुमार पुत्र गौरी शंकर डागा<br>बसंत डागा पुत्र ललित कुमार डागा<br>शशि पत्नी ललित कुमार डागा | 383 / 1         | 0.424        | 0.424        |
| 78.                     | ललित कुमार पुत्र गौरी शंकर डागा<br>बसंत डागा पुत्र ललित कुमार डागा<br>शशि पत्नी ललित कुमार डागा | 388 / 1         | 1.220        | 1.220        |
| 79.                     | ललित कुमार पुत्र गौरी शंकर डागा<br>बसंत डागा पुत्र ललित कुमार डागा<br>शशि पत्नी ललित कुमार डागा | 394 / 1         | 0.070        | 0.070        |

| (1) | (2)  | (3)     | (4)   | (5)   |
|-----|--|---------|-------|-------|
| 80. | स्टार कंस्ट्रक्शन एवं भागीदार फर्म 165 166 जोन 1 एम. पी. नगर भोपाल द्वारा भागीदार सूरजकुमार पुत्र मोहनलाल.                     | 383 / 2 | 0.610 | 0.610 |
| 81. | स्टार कंस्ट्रक्शन एवं भागीदार फर्म 165 166 जोन 1 एम. पी. नगर भोपाल द्वारा भागीदार सूरजकुमार पुत्र मोहनलाल.                     | 388 / 2 | 1.220 | 1.220 |
| 82. | स्टार कंस्ट्रक्शन एवं भागीदार फर्म 165 166 जोन 1 एम. पी. नगर भोपाल द्वारा भागीदार सूरजकुमार पुत्र मोहनलाल.                     | 394 / 2 | 0.070 | 0.070 |
| 83. | आई सेक्टर द्वारा अध्यक्षसंतोष कुमार चौबे आ. जगन्नाथ चौबे.  | 383 / 3 | 0.186 | 0.186 |
| 84. | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ. के गंगवानी.   | 384 / 1 | 0.180 | 0.180 |
| 85. | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ. के गंगवानी  | 384 / 3 | 1.176 | 1.176 |
| 86. | काशीबाई पत्नी सूरजकरण माहेश्वरी  | 384 / 2 | 0.664 | 0.664 |
| 87. | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ. के गंगवानी  | 385     | 0.830 | 0.830 |
| 88. | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ. के गंगवानी  | 386     | 0.300 | 0.300 |
| 89. | स्टार कंस्ट्रक्शन कंपनी एवं भागीदार दिलिप कुमार गंगवानी आ. के गंगवानी  | 387     | 0.750 | 0.750 |
| 90. | विनय डागा पुत्र जय किशन डागा   | 389 / 1 | 0.410 | 0.410 |
| 91. | श्रीमती प्रीति डागा पत्नी विनय डागा  | 389 / 2 | 0.410 | 0.410 |
| 92. | श्रीमती सरोज डागा पत्नी जयकिशन डागा  | 389 / 4 | 1.210 | 1.210 |
| 93. | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता. | 390     | 3.420 | 2.736 |
| 94. | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता. | 391     | 2.540 | 1.778 |
| 95. | अशोक पलीड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता माहगाँवकर पत्नी अजय मोहगाँवकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता. | 392     | 1.230 | 0.861 |

| (1)  | (2)   | (3)             | (4)           | (5)           |
|------|---|-----------------|---------------|---------------|
| 96.  | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता माहगॉवकर पत्नी अजय मोहगावंकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता. | 397             | 0.590         | 0.590         |
| 97.  | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगॉवकर पत्नी अजय मोहगावंकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता. | 398             | 1.130         | 1.130         |
| 98.  | अशोक पलोड आ. राधेश्याम पलोड हि. 55 प्रतिशत श्रीमती नीता मोहगॉवकर पत्नी अजय मोहगावंकर श्रीमती श्रुतु गुप्ता पत्नी समीर गुप्ता. | 399             | 2.610         | 2.610         |
| 99.  | साक्षी अगरवाला उर्फ नम्रता पुत्री जयकिशन डागा पत्नी आशुतोष  | 395/2           | 0.410         | 0.410         |
| 100. | बलवीर सिंह पिता मुंशीलाल  | 401             | 0.600         | 0.360         |
| 101. | बलवीर सिंह पिता मुंशीलाल  | 403             | 1.910         | 0.382         |
| 102. | बाबूलाल पिता उमरावसिंह  | 404             | 1.190         | 1.190         |
| 103. | बाबूलाल पिता उमरावसिंह  | 405             | 0.960         | 0.960         |
| 104. | बाबूलाल पिता उमरावसिंह  | 406             | 0.940         | 0.752         |
|      |   | <b>कुल रकबा</b> | <b>51.109</b> | <b>41.901</b> |

## शासकीय भूमि

|                                 |                      |     |               |               |
|---------------------------------|----------------------|-----|---------------|---------------|
| 1.                              | मध्यप्रदेश शासन नाला | 349 | 3.18          | 1.06          |
| 2.                              | मध्यप्रदेश शासन नहर  | 393 | 5.29          | 1.587         |
| 3.                              | मध्यप्रदेश शासन नदी  | 407 | 0.52          | 0.104         |
| 4.                              | शासकीय रास्ता        | 284 | 0.08          | 0.080         |
| <b>मध्यप्रदेश शासन कुल रकबा</b> |                      |     | <b>9.070</b>  | <b>2.831</b>  |
| <b>कुल रकबा ग्राम भैरोपुर</b>   |                      |     | <b>60.179</b> | <b>44.732</b> |

## बागली

|    |   |           |       |       |
|----|---|-----------|-------|-------|
| 1. | सुरेश आ. रामप्रसाद पता विलासी ग्राम, भूमि-स्वामी  | 32(S)     | 0.31  | 0.027 |
| 2. | रमेश प्रसाद आ० राम प्रसाद पता ग्राम, नगेली भूमि-स्वामी  | 33(S)     | 0.38  | 0.352 |
| 3. | तुलसीराम आ० राम प्रसाद पता निवासी ग्राम, भूमि-स्वामी  | 34(S)     | 0.23  | 0.23  |
| 4. | रामानंद पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण   | 36(S)     | 1.48  | 1.401 |
| 5. | शिवनारायण आत्मज भवानी प्रसाद  | 56/1/1(S) | 0.512 | 0.512 |
| 6. | मेसर्स साई रियलटी भोपाल द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर एवं भागीदारगण प्रीतम चोटराणी आ. स्व. डी जी चोटरानी, रमेश पाटीदार आ. स्व. सेवाराम पाटीदार. | 56/1/2(S) | 0.809 | 0.809 |

| (1) | (2)                                  | (3)     | (4)   | (5)   |
|-----|--------------------------------------|---------|-------|-------|
| 7.  | शिवनारायण पिता भवानी प्रसाद          | 56/3(S) | 0.02  | 0.02  |
| 8.  | शिवनारायण पिता भवानी प्रसाद          | 58(S)   | 1.84  | 1.84  |
| 10. | श्यामलाल पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण | 63/1/1  | 1.100 | 1.100 |
| 11. | श्यामलाल पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण | 64/1    | 2.430 | 2.430 |
| 12. | नन्हूलाल आत्मज भवानी प्रसाद          | 63/1/2  | 0.080 | 0.080 |
| 13. | रामानंद आ. लक्ष्मीनारायण             | 63/2    | 0.890 | 0.890 |
| 14. | रामानंद आ. लक्ष्मीनारायण             | 64/2    | 1.710 | 1.710 |
| 15. | रामकुमार आ. कैलाशनारायण              | 63/3    | 0.140 | 0.140 |
| 16. | रामकुमार आ. कैलाशनारायण              | 65      | 1.020 | 1.020 |
| 17. | रामकुमार आ. कैलाशनारायण              | 66      | 0.640 | 0.640 |
| 18. | विध्याबाई पत्नी नर्बदा प्रसाद साहू   | 67      | 0.480 | 0.480 |
| 19. | नर्बदाप्रसाद पुत्र हेमराज            | 68      | 0.950 | 0.950 |
| 20. | नर्बदाप्रसाद पुत्र हेमराज            | 69      | 1.030 | 1.030 |
| 21. | राधेश्याम आ. जगन्नाथ साहू            | 70/1    | 0.250 | 0.250 |
| 22. | राधेश्याम आ. जगन्नाथ साहू            | 71/1    | 1.190 | 1.190 |
| 23. | राधेश्याम आ. जगन्नाथ साहू            | 73/1    | 0.100 | 0.100 |
| 24. | मोहन आ. जगन्नाथ साहू                 | 70/2    | 0.250 | 0.250 |
| 25. | मोहन आ. जगन्नाथ साहू                 | 71/2    | 1.190 | 1.190 |
| 26. | मोहन आ. जगन्नाथ साहू                 | 73/2    | 0.110 | 0.110 |
| 27. | कमला पाटीदार पुत्री महेशचंद पाटीदार  | 74/1    | 0.770 | 0.770 |
| 28. | कमला पाटीदार पुत्री महेशचंद पाटीदार  | 75/1    | 0.060 | 0.060 |
| 29. | कमला पाटीदार पुत्री महेशचंद पाटीदार  | 76/1    | 0.080 | 0.080 |
| 30. | भैया लाल आ. प्रहलाद                  | 74/2    | 0.520 | 0.156 |
| 31. | भैया लाल आ. प्रहलाद                  | 75/2    | 0.080 | 0.080 |
| 32. | भैया लाल आ. प्रहलाद                  | 76/2    | 1.150 | 0.460 |
| 33. | मीनू पत्नि भूपिन्दरसिंह              | 74/3    | 0.500 | 0.500 |
| 34. | महेश पाटीदार पुत्र हरीप्रसाद पाटीदार | 78/1    | 0.770 |       |

| (1)                     | (2)   | (3)             | (4)          | (5)          |
|-------------------------|---|-----------------|--------------|--------------|
| 35.                     | श्रीमती मधु जैन पत्नी कमल कुमार जैन<br>कमल कुमार जैन पुत्र शीतल प्रसाद  | 78/2            | 2.430        |              |
| 36.                     | श्रीमती कमला पाटीदार पत्नी महेश पाटीदार   | 78/3            | 2.840        |              |
| <b>बटान उपलब्ध नहीं</b> |   | <b>कुल रकबा</b> | <b>6.040</b> | <b>0.150</b> |
| 37.                     | ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह आ. राजमणि सिंह  | 82              | 0.480        | 0.150        |
| 38.                     | ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह आ. राजमणि सिंह  | 83              | 0.240        | 0.100        |
| 39.                     | रामानंद पुत्र शिन नारायण  | 84              | 2.310        | 2.310        |
| 40.                     | लीलाबाई पत्नी देवबक्स व श्रीमती हेमलता पत्नी<br>राजकुमार—कुल रकबा 1.52  | 85              | 0.060        | 0.030        |
| 41.                     | लीलाबाई पत्नी देवबक्स व श्रीमती हेमलता पत्नी<br>राजकुमार—कुल रकबा 1.53  | 86/2            | 1.520        | 0.410        |
| 42.                     | मेसर्स नोबेक्स ओवरसीज प्रा. लिमिटेड पंजीयत कंपनी<br>जिसका कार्यालय ग्रेटर कैलाश 2 नई दिल्ली द्वारा<br>रमेशचन्द्र सुराना पुत्र वाय एम सुराना | 88/3/1          | 2.000        | 1.550        |
| 43.                     | मोहित पाटीदार पुत्र श्यामलाल पाटीदार  | 146             | 3.160        | 3.160        |
| 44.                     | रामनारायण आ० देवबक्स  | 158             | 0.100        | 0.100        |
| 45.                     | देवीराम आ० देवबक्स  | 159/1/1         | 1.372        | 1.372        |
| 46.                     | रामनारायण आ. देवबक्स  | 159/1/2         | 0.048        | 0.048        |
| 47.                     | रामनारायण आ. देवबक्स  | 159/2           | 1.680        | 1.680        |
| 48.                     | रामानंद पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण   | 160/1           | 1.140        | 1.140        |
| 48.                     | राधेश्याम पिता जगननाथ साहू  | 178/1           | 1.860        | 1.860        |
| 49.                     | मोहन पिता जगननाथ साहू   | 178/2           | 1.830        | 1.830        |
| 50.                     | देवीराम आ. देवबक्स  | 179             | 0.370        | 0.370        |
| 51.                     | विनोद पाटीदार पुत्र रामकिशन पाटीदार   | 180/1           | 0.380        | 0.380        |
| 52.                     | विष्णु पाटीदार आ. जगननाथ पाटीदार  | 180/2           | 1.020        | 1.020        |
| 53.                     | विनोद पाटीदार पुत्र रामकिशन पाटीदार   | 181/1           | 0.020        | 0.020        |
| 54.                     | विष्णु पाटीदार आ० जगननाथ पाटीदार  | 181/2           | 0.870        | 0.870        |
| 55.                     | कमला बाई पत्नि अरुण लाल   | 182             | 0.010        | 0.010        |
| 56.                     | कमला बाई पत्नि अरुण लाल   | 183             | 1.100        | 1.100        |
| 57.                     | मोहित पाटीदार पुत्र श्यामलाल पाटीदार  | 187/2           | 0.180        | 0.180        |
| 58.                     | खालिद मो. खां आत्मज शाहिद सईद मो. खां.  | 147             | 2.850        | 2.850        |
| 59.                     | खालिद मो.खा. आत्मज शाहिद सईद मो.खां.  | 148             | 1.430        | 1.430        |



| (1)           | (2)  | (3)              | (4)    | (5)    |
|---------------|--|------------------|--------|--------|
| 60.           | कमलाबाई पत्नि अरुणलाल अरुणलाल पिता चन्द्रशेखर                    | 156              | 0.100  | 0.100  |
| 61.           | विष्णु पाटीदार आ. जगननाथ पाटीदार                                 | 184              | 0.200  | 0.200  |
| 62.           | कमलाबाई पत्नि अरुणलाल अरुणलाल पिता चन्द्रशेखर                    | 185              | 2.850  | 2.850  |
| 63.           | रामानंद पाटीदार पुत्र लक्ष्मीनारायण                              | 187              | 1.710  | 1.710  |
| 64.           | श्रीमती पुष्पा साहू पत्नी मोहनलाल साहू                           | 188              | 0.530  | 0.530  |
| 65.           | घनश्याम पाटीदार आ. मदनलाल पाटीदार                                | 190              | 1.890  | 1.890  |
| 66.           | रामकरण आ. भेजराज   | 192              | 1.140  | 0.110  |
| 67.           | गंगाप्रसाद आ. राजाराम  | 193 / 1          | 2.800  | 0.060  |
| 68.           | मेसर्स जे डी एन इंफ एण्ड डेवलपर्स द्वारा ओमप्रकाश पाटीदार        | 193 / 2          | 2.500  | 2.500  |
| 69.           | मेसर्स जे डी एन इंफ एण्ड डेवलपर्स द्वारा ओमप्रकाश पाटीदार        | 194              | 0.310  | 0.310  |
| 70.           | प्लेटीनम रियल्टी द्वारा श्री श्रेयस चौधरी                        | 195 / 2, 195 / 3 | 1.719  | 1.719  |
| 71.           | कैलास नारायण आप्राम किशन   | 203              | 1.650  | 0.100  |
| 72.           | लक्ष्मीनारायण कैलाशनारायण पुत्रगण रामकिशन लीलाबाई पुत्री रामकिशन | 205              | 0.140  | 0.140  |
| 73.           | सुभाष पिता शिवनारायण पाटीदार                                     | 206 / 1          | 1.650  | 1.485  |
| 74.           | महेंद्र पुत्र शिवनारायण पाटीदार                                  | 206 / 2          | 1.660  | 1.494  |
| 75.           | रामानन्द पिता शिवनारायण पाटीदार                                  | 206 / 3          | 0.470  | 0.423  |
| 76.           | नन्हूलाल आत्मज भवानी प्रसाद                                      | 207 / 1          | 2.550  | 2.550  |
| 77.           | नन्हूलाल आत्मज भवानी प्रसाद                                      | 207 / 2          | 1.620  | 1.620  |
| 78.           | राम कुवर बाई नन्हूलाल  | 209              | 0.442  | 0.287  |
| 79.           | सुभाष पिता शिवनारायण पाटीदार                                     | 212 / 1          | 0.310  | 0.093  |
| 80.           | महेंद्र पुत्र शिवनारायण पाटीदार                                  | 212 / 2          | 0.090  | 0.027  |
| 81.           | सुभाष पिता शिवनारायण पाटीदार                                     | 213 / 1          | 0.190  | 0.095  |
| 82.           | महेंद्र पुत्र शिवनारायण पाटीदार                                  | 213 / 2          | 0.400  | 0.200  |
| 83.           | कैलास नारायण आप्राम रामकिशन                                      | 214              | 4.130  | 0.120  |
|               |  | कुल रकबा         | 91.462 | 65.590 |
| <b>शासकीय</b> |  |                  |        |        |
| 1.            | मध्य प्रदेश शासन   | 56 / 2           | 0.180  | 0.180  |
| 2.            | मध्य प्रदेश शासन   | 57               | 0.230  | 0.230  |

| (1)                         | (2)                              | (3)    | (4)            | (5)           |
|-----------------------------|----------------------------------|--------|----------------|---------------|
| 3.                          | मध्य प्रदेश शासन रास्ता          | 59     | 0.150          | 0.150         |
| 4.                          | मध्य प्रदेश शासन                 | 60     | 0.040          | 0.040         |
| 5.                          | मध्य प्रदेश शासन                 | 62     | 0.020          | 0.020         |
| 6.                          | मध्यप्रदेश शासन                  | 72 / 1 | 1.080          | 1.080         |
| 7.                          | मध्यप्रदेश शासन                  | 186    | 0.970          | 0.970         |
| 8.                          | मध्यप्रदेश शासन                  | 191    | 2.19           | 1.990         |
| 9.                          | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 91     | 0.520          | 0.260         |
| 10.                         | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 204    | 0.860          | 0.860         |
| 11.                         | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 142    | 0.110          | 0.110         |
| 12.                         | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 143    | 0.100          | 0.100         |
| 13.                         | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 144    | 0.270          | 0.270         |
| 14.                         | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 145    | 0.31           | 0.310         |
| 15.                         | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 196    | 0.17           | 0.068         |
| 16.                         | मध्यप्रदेश शासन रास्ता           | 208    | 0.4            | 0.360         |
| 17.                         | मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग नहर | 157    | 1.2            | 1.200         |
|                             | मध्यप्रदेश शासन कुल रकबा         |        | 8.800          | 8.198         |
| <b>कुल रकबा ग्राम बागली</b> |                                  |        | <b>100.262</b> | <b>73.788</b> |

## मिसरोद

|     |  |                                       |       |       |
|-----|--|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.  | कैलाशनारायण पुत्र सीताराम जाति गुजराती<br>पता मिसरोद कोलार, भोपाल मध्यप्रदेश | 222 / 1 / 2 / 1 (s),<br>368 / 224 / 1 | 0.809 | 0.809 |
| 2.  | महेन्द्र पिता कैलास नारायण   | 227(s)                                | 1.708 | 1.708 |
| 3.  | रामनारायण आ. जीतमल जाति गुजराती<br>पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि-स्वामी.         | 228 / 229 / 2 /<br>1(s)               | 0.445 | 0.445 |
| 4.  | महेन्द्र पिता कैलास नारायण   | 228 / 229 / 2 /<br>2 / 1 (s)          | 0.733 | 0.733 |
| 5.  | पदमा मिश्रा  | 228 / 229 / 2 /<br>2 / 2 (s)          | 0.186 | 0.186 |
| 6.  | गंगाप्रसाद अवध नारायण, चतुरनारायण आ. तुलसीराम                                | 230 / 1                               | 2.946 | 2.946 |
| 7.  | शिवप्रसाद पिता भगवान सिंह  | 230 / 2                               | 3.715 | 3.715 |
| 8.  | गंगाप्रसाद अवध नारायण, चतुरनारायण आ. तुलसीराम                                | 231                                   | 4.492 | 4.492 |
| 10. | रामनारायण आ. जीतमल   | 234                                   | 2.372 | 2.372 |
| 11. | महेन्द्र पिता कैलास नारायण   | 235 / 2 / 2                           | 0.243 | 0.243 |

| (1) | (2)  | (3)                   | (4)   | (5)   |
|-----|--|-----------------------|-------|-------|
| 12. | शिवनारायण पिता भगवान सिंह                  | 233 / 235 / 1 / 1 / 1 | 0.540 | 0.54  |
| 13. | महाविप्रसाद पुत्र भगवान सिंह               | 233 / 235 / 1 / 1 / 2 | 0.540 | 0.54  |
| 14. | रामस्वरूप पुत्र भगवान सिंह                 | 233 / 235 / 1 / 1 / 3 | 0.539 | 0.539 |
| 15. | रामनारायण आ. जीतमल                         | 233 / 235 / 1 / 2     | 1.029 | 1.029 |
| 16. | महेन्द्र पिता कैलास नारायण                 | 233 / 235 / 1 / 3     | 0.761 | 0.761 |
| 17. | माहेनलाल पुत्र बाबूलाल                     | 235 / 3 / 2           | 0.202 | 0.202 |
| 18. | बद्रीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण              | 233 / 235 / 1 / 4     | 0.186 | 0.186 |
| 19. | बद्रीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण              | 242 / 1 / 2           | 3.089 | 3.089 |
| 20. | बद्रीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण              | 243 / 2(s)            | 0.206 | 0.206 |
| 21. | बद्रीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण              | 244 / 2               | 0.567 | 0.567 |
| 22. | बद्रीप्रसाद पुत्र प्रेमनारायण              | 244 / 3               | 0.251 | 0.251 |
| 23. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण                   | 238 / 1               | 0.494 | 0.494 |
| 24. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण                   | 240 / 1               | 0.607 | 0.607 |
| 25. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण                   | 240 / 2               | 0.077 | 0.077 |
| 26. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण                   | 253 / 1               | 1.704 | 1.704 |
| 27. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण                   | 240 / 4               | 0.040 | 0.04  |
| 28. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण                   | 235 / 3 / 1           | 0.048 | 0.048 |
| 29. | श्रीमति श्यामा प्राटीदार पत्नि<br>भागिरथ   | 246 / 247 / 3         | 0.692 | 0.692 |
| 30. | श्रीमति श्यामा प्राटीदार पत्नि<br>भागिरथ   | 246 / 247 / 4         | 0.532 | 0.532 |
| 31. | श्रीमति श्यामा प्राटीदार पत्नि<br>भागिरथ   | 248                   | 0.170 | 0.17  |
| 32. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण                   | 252 / 1 / 1 / 5       | 0.627 | 0.526 |
| 33. | श्रीमती अंजना त्रिपाठी पत्नि दीपक त्रिपाठी |                       |       | 0.101 |
| 34. | माहेनलाल पुत्र बाबूलाल                     | 233 / 235 / 1 / 5     | 0.186 | 0.186 |
| 35. | माहेनलाल पुत्र बाबूलाल                     | 237                   | 0.295 | 0.295 |
| 36. | माहेनलाल पुत्र बाबूलाल                     | 238 / 2               | 1.456 | 1.456 |
| 37. | माहेनलाल पुत्र बाबूलाल                     | 240 / 3               | 1.153 | 1.153 |

| (1) | (2)  | (3)         | (4)   | (5)   |
|-----|--|-------------|-------|-------|
| 38. | महेन्द्र पिता कैलास नारायण   | 242/1/1     | 0.719 | 0.719 |
| 39. | महेन्द्र पिता कैलास नारायण   | 242/2       | 0.101 | 0.101 |
| 40. | जगदीश प्रसाद पुत्र कैलाशनारायण   | 243/1 (s)   | 0.853 | 0.853 |
| 41. | जगदीश प्रसाद पुत्र कैलाशनारायण   | 244/1/1     | 1.002 | 1.002 |
| 42. | माहेनलाल पुत्र बाबूलाल   | 254         | 1.028 | 1.028 |
| 43. | प्रेमनाथ आ. हीरालाल  | 246/247/1/1 | 0.137 | 0.137 |
| 44. | पियूसरेना आ. हिरालाल   | 246/247/1/2 | 0.137 | 0.137 |
| 45. | सोख आ. हीरालाल   | 246/247/1/3 | 0.136 | 0.136 |
| 46. | श्रीमति प्रभावती पुत्री जीवनमुक्त कोल  | 246/247/1/4 | 0.136 | 0.136 |
| 47. | रतनसेना पिता शिवाजी कोल  | 246/247/1/5 | 0.148 | 0.148 |
| 48. | मनोरमा ठाकरे पत्नि विश्वनाथ तुलसीराम ठाकरे,<br>सुभम ठाकरे पुत्र विश्वनाथ तुलसीराम ठाकरे<br>सोमेन्द्र बेनरजी पुत्र शिवप्रसाद बेनरजी | 246/247/2   | 0.700 | 0.7   |
| 49. | दिनेश साहू पुत्र भवरलाल साहू   | 252/1/1/1   | 0.101 | 0.101 |
| 50. | श्रीमति बिन्दू चौधरी पत्नि धनराज चौधरी,<br>श्रीमति ललिता पटेल पत्नि महरबान सिंह पटेल   | 252/1/1/2/1 | 0.050 | 0.05  |
| 51. | श्रीमति सुनिता पटेल पत्नि मंगल सिंह  | 252/1/1/2/2 | 0.050 | 0.05  |
| 52. | श्रीमति हबीबा आलम पतन बंदरआलम  | 252/1/1/3   | 0.101 | 0.101 |
| 53. | चन्द्रकुमार शुक्ला आ. अलोपी प्रसाद शुक्ला एवं<br>श्रीमती मायादेवी शुक्ला पत्नी चन्द्रकुमार शुक्ला                                  | 252/1/1/4   | 0.101 | 0.101 |
| 54. | सुजीत सेन पुत्र एन.सी सेन व अंकित सेन पुत्र<br>सुजीत सेन   | 252/1/1/6   | 0.344 | 0.344 |
| 55. | रेनु पंथ पत्नि डॉ ललित मोहन पंथ  | 252/1/1/7   | 0.404 | 0.404 |
| 56. | राहुल यादव पुत्र पी.एन. यादव   | 252/1/2/1   | 0.101 | 0.101 |
| 57. | प्रसन्न कुमार दाश पुत्र शत्रुगण दाश एवं<br>संतुक्ता दाश पत्नि प्रसन्न कुमार दाश  | 252/1/2/2   | 0.202 | 0.202 |
| 58. | पी. के. दास पुत्र शत्रुगण दास  | 252/1/3     | 0.202 | 0.202 |
| 59. | सोमी शुक्ला पुत्री सी. के. शुक्ला एवं<br>श्रीमती माया देवी पत्नि सी. के. शुक्ला  | 252/1/4     | 0.202 | 0.202 |
| 60. | ओम प्रकाश पुत्र बाबूलाल  | 252/2/1/1   | 0.012 | 0.012 |
| 61. | हिमांशु जोशी पुत्र ईश्वरप्रसाद जोशी  | 252/2/1/2   | 0.178 | 0.178 |
| 62. | श्रीमती राधा सिंह पत्नी जी. एस. ठाकुर<br>एवं कुमारी रितु सिंह पुत्री जी. एस. ठाकुर   | 252/2/2     | 0.405 | 0.405 |

| (1) | (2)   | (3)        | (4)   | (5)   |
|-----|---|------------|-------|-------|
| 63. | श्रीमती विमला जैन पत्नि सुरेश जैन   | 252/2/3    | 0.166 | 0.166 |
| 64. | हिमांशु जोशी पुत्र इश्वरप्रसाद जोशी   | 252/2/4    | 0.708 | 0.708 |
| 65. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 253/1      | 1.704 | 1.704 |
| 66. | भागीरथ पुत्र प्रेमनारायण  | 253/2      | 2.647 | 2.647 |
| 67. | संजीवकुमार जैन आ. शिखर चन्द्र जैन एवं श्रीमती अननं जैन पत्नि राजीव कुमार जैन  | 255/1/1/1  | 0.101 | 0.101 |
| 68. | रतनचन्द्र जैन आ. बालचन्द्र एवं पत्नि चमेलीदेवी पति रतनचन्द्र जैन              | 255/1/1/2  | 0.190 | 0.19  |
| 69. | विमल जैन आ. पन्नालाल एवं श्रीमती कुसम जैन पाटीदार पत्नि विमल जैन              | 255/1/1/3  | 0.101 | 0.101 |
| 70. | अभिषेक बडकुल आ. शुभाष बडकुल   | 255/1/1/4  | 0.101 | 0.101 |
| 71. | गोपाल आ. बाबूलाल  | 255/1/1/5  | 0.101 | 0.101 |
| 72. | प्रतिक गुप्ता आ० हरिओम एवं नवीन गुप्ता आ. हरओम                                | 255/1/1/6  | 0.101 | 0.101 |
| 73. | बाल कृष्ण मिश्रा आ० एस आर मिश्रा  | 255/1/1/7  | 0.101 | 0.101 |
| 74. | रश्मि लोहानी पत्नि कोशल कुमार लोहानी  | 255/1/1/8  | 0.101 | 0.101 |
| 75. | सुनील कुमार लोहानी पुत्र त्रिलोचन लोहानी                                      | 255/1/1/9  | 0.101 | 0.101 |
| 76. | संजय बंसल पुत्र ब्रिज वल्लभ दास बंसल एवं श्रीमती ज्योति बंसल पत्नी संजय बंसल  | 255/1/1/10 | 0.101 | 0.101 |
| 77. | विनय अग्रवाल आ. एस के अग्रवाल   | 255/1/1/11 | 0.101 | 0.101 |
| 78. | श्रीमती ममता सक्सेना पत्नि एस के सक्सेना                                      | 255/1/1/12 | 0.101 | 0.101 |
| 79. | हिमांशु जोशी आ. आई. डी. जोशी एवं पल्लवी जोशी पत्नि हिमांशु जोशी व तृप्ती जोशी | 255/1/1/14 | 0.202 | 0.202 |
| 80. | शिवकुमार गौड पुत्र स्व. मानकलाल गौड   | 255/1/1/15 | 0.169 | 0.169 |
| 81. | हिमांशु जोशी पुत्र इश्वरीदत्त जोशी  | 255/1/1/16 | 0.340 | 0.34  |
| 82. | गोपाल आ. बाबूलाल  | 255/1/3    | 1.651 | 1.651 |
| 83. | बाबूलाल पुत्र उपरावसिंह   | 255/2      | 2.983 | 2.983 |
| 84. | श्रीमती गरिमा भगत पत्नि श्रीमधुकरभगत  | 256/2/1/4  | 0.049 | 0.049 |
| 85. | सुमीत पंथ आ. एन.सी पंथ  | 256/2/2/1  | 0.166 | 0.166 |
| 86. | श्रीमती अलका अग्रवाल पत्नि विपुल अग्रवाल                                      | 256/2/2/2  | 0.101 | 0.101 |
| 87. | एस डी सिंह पुत्र डी पी सिंह   | 256/2/2/3  | 0.154 | 0.154 |
| 88. | संजय कुलश्रेष्ठ पुत्र गिरिश चन्द्र कुलश्रेष्ठ                                 | 256/2/2/4  | 0.101 | 0.101 |
| 89. | जयेशचौपडा आ. एल के चौपडा  | 256/2/2/5  | 0.101 | 0.101 |
| 90. | बबीता भारती सरिम पत्नि अदेश भारती   | 256/2/2/6  | 0.101 | 0.101 |
| 91. | जिनेस कुमार पुत्र सीलचन्द्र जैन   | 256/2/2/7  | 0.154 | 0.154 |
| 92. | मथुरा सिंह विस्ट आ० सी. एल. विस्ट   | 256/2/2/8  | 0.101 | 0.101 |

| (1)  | (2)   | (3)        | (4)   | (5)   |
|------|---|------------|-------|-------|
| 93.  | सत्यप्रकाश सेंगर आ० लालाराम सेंगर   | 256/2/2/9  | 0.154 | 0.154 |
| 94.  | किरण बडकुर पत्नि डी पी बडकुर  | 256/2/2/10 | 0.101 | 0.101 |
| 95.  | महेश अग्रवाल पुत्र स्व. राधेश्याम अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पुत्री राधेश्याम अग्रवाल पत्नि विनोद अग्रवाल. | 256/2/2/11 | 0.053 | 0.053 |
| 96.  | महेश अग्रवाल पुत्र स्व. राधेश्याम अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पुत्री राधेश्याम अग्रवाल पत्नि विनोद अग्रवाल. | 256/2/2/21 | 0.097 | 0.097 |
| 97.  | महेश अग्रवाल पुत्र स्व. राधेश्याम अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पुत्री राधेश्याम अग्रवाल पत्नि विनोद अग्रवाल. | 256/2/2/22 | 0.154 | 0.154 |
| 98.  | महेश अग्रवाल पुत्र स्व. राधेश्याम अग्रवाल एवं श्रीमती ललिता अग्रवाल पुत्री राधेश्याम अग्रवाल पत्नि विनोद अग्रवाल. | 256/2/2/24 | 0.049 | 0.049 |
| 99.  | मिथलेश कुमार सिन्हा बानेश्वरप्रसाद सिन्हा   | 256/2/2/12 | 0.154 | 0.154 |
| 100. | प्रेमनाराश आ. उमराव सिंह  | 256/2/2/13 | 0.202 | 0.202 |
| 101. | प्रेमनाराश आ. उमराव सिंह  | 256/2/2/15 | 0.101 | 0.101 |
| 102. | प्रेमनाराश आ. उमराव सिंह  | 256/2/2/19 | 0.178 | 0.178 |
| 103. | श्रीमती जोशना जैन पत्नि के. सी. जैन व श्री केंसी जैन आ. सूरजमल जैन  | 256/2/2/14 | 0.190 | 0.19  |
| 104. | विमल कानूनगो पत्नि एन डी कानमूनगो   | 256/2/2/16 | 0.097 | 0.097 |
| 105. | श्रीमती शशीकला बोन्डों पत्नि आर एस बोन्डो   | 256/2/2/17 | 0.097 | 0.097 |
| 106. | अंजना त्रिपाठी पत्नि दिपक त्रिपाठी  | 256/2/2/18 | 0.053 | 0.053 |
| 107. | श्री सत्यनारायण मिश्रा आ. श्यामसुन्दर मिश्रा एवं श्रीमती यशोधरा मिश्रा पत्नि सत्यनारायण मिश्रा                    | 256/2/2/20 | 0.101 | 0.101 |
| 108. | श्रीमती रेनुका सिन्हा पत्नि मिथलेश कुमार सिन्हा   | 256/2/2/23 | 0.154 | 0.154 |
| 109. | श्रीमती कल्पना रावतानी पत्नि श्री सगीर रावतानी  | 256/2/2/25 | 0.053 | 0.053 |
| 110. | अंब्रिका प्रसाद पुत्र प्रेमनारायण   | 256/2/1/1  | 1.214 | 1.214 |
| 111. | अंब्रिका प्रसाद पुत्र प्रेमनारायण   | 256/2/1/3  | 0.728 | 0.728 |
| 112. | सुधीर भंडारी पिता प्रकाश भंडारी   | 262/1/1/1  | 1.618 | 1.618 |
| 113. | आस्था रियल्टी द्वारा पाटनर अजय मोहगांवकर पुत्र एस डबलू मोहगांवकर.   | 262/1/1/2  | 0.405 | 0.405 |
| 114. | विपिन्न कुमार पिता वसंत कुमार   | 264/1      | 1.453 | 1.453 |
| 115. | हेमन्त कुमार शुक्ला आ. अंबिका प्रसाद  | 265/1/1    | 0.024 | 0.024 |
| 116. | आशा शुक्ला  | 265/2/1    | 0.029 | 0.029 |

| (1)                                       | (2)                              | (3)                         | (4)            | (5)            |
|---|----------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| 117.                                      | मुजू सिघई                        | 265/3                       | 0.121          | 0.121          |
| 118.                                      | संतोष कुमार सिघई                 | 265/4/1                     | 0.020          | 0.02           |
| 119.                                      | दिनेश कुमार लखानी                | 266/1/2                     | 0.210          | 0.21           |
| 120.                                      | दिनेश कुमार लखानी                | 266/1/3                     | 0.141          | 0.141          |
| 121.                                      | दिनेश कुमार लखानी                | 266/2/1                     | 0.352          | 0.352          |
| 122.                                      | कृष्ण मूलचंदानी                  | 266/2/2                     | 0.352          | 0.352          |
| 123.                                      | प्रभा लोहाड़े                    | 266/3/1                     | 0.172          | 0.172          |
| 124.                                      | जय कुमार जैन                     | 266/3/2                     | 0.178          | 0.178          |
|   |                                  | <b>कुल रकबा</b>             | <b>62.791</b>  | <b>62.791</b>  |
| <b>शासकीय</b>                             |                                  |                             |                |                |
| 1.  | शासकीय भूमि                      | 222/1/2/3 (s),<br>368/224/1 | 0.19           | 0.19           |
| 2.  | शासकीय भूमि                      | 222/1/1/3 (s),<br>368/224/1 | 0.093          | 0.093          |
| 3.  | शासकीय भूमि                      | 222/1/1/4 (s),<br>368/224/1 | 0.024          | 0.024          |
| 4.  | मध्यप्रदेश शासन                  | 239                         | 0.053          | 0.053          |
| 5.  | मध्यप्रदेश शासन                  | 241                         | 0.283          | 0.283          |
| 6.  | मध्यप्रदेश शासन                  | 245                         | 0.547          | 0.547          |
| 7.  | शासकीय भूमि                      | 258/1                       | 0.704          | 0.450          |
| 8.  | मध्यप्रदेश शासन अर्बन सीलिंग     | 262/2                       | 0.93           | 0.930          |
| 9.  | मध्यप्रदेश शासन नाला             | 232                         | 0.543          | 0.543          |
| 10.                                       | मध्यप्रदेश शासन नाला             | 236                         | 0.247          | 0.247          |
| 11.                                       | मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग नहर | 255/1/2                     | 0.453          | 0.453          |
| 12.                                       | मध्यप्रदेश शासन सिंचाई विभाग नहर | 256/2/1/2                   | 0.486          | 0.486          |
|   |                                  | <b>कुल रकबा</b>             | <b>4.553</b>   | <b>4.299</b>   |
|   |                                  | <b>कुल रकबा</b>             | <b>67.344</b>  | <b>67.090</b>  |
| <b>नगर विकास स्कीम का कुल क्षेत्रफल:-</b> |                                  |                             | <b>227.785</b> | <b>185.610</b> |

**नोट:-**उपरोक्त सूची के अतिरिक्त कोई भी खसरा या उसका बटान जो कि सूची में सम्मिलित नहीं है. परंतु नगर विकास स्कीम सीमा के भीतर स्थित है, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित माना जावेगा.

कोई भी व्यक्ति, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से, नगर विकास स्कीम में सम्मिलित किए गए क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का भूमि का उपयोग या भवन में परिवर्तन या कोई भी विकास संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त अनुमति के अनुसार ही करेगा.

(G-459)

पंकज श्रीवास्तव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी.

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि मैं, धमेन्द्र यादव मेरी पुत्री के आधारकार्ड में उसका नाम त्रुटिवश पायल यादव दर्ज हो गया है। जो कि गलत है। अतः उसके सभी दस्तावेजों में उसका नाम राधिका यादव (Radhika Yadav) दर्ज है। जो कि सही है। अतः अब उसके सही नाम राधिका यादव (Radhika Yadav) जाना-पहचाना एवं दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(पायल यादव)

नया नाम  
(राधिका यादव)  
(Radhika Yadav)

पिता-धमेन्द्र यादव,  
पता-31, सेमरी टंकी, ग्राम सेमरी टंकी,  
मूडरा बहादरा पिपरई, अशोकनगर, (म.प्र.)

(G-460)

**नाम परिवर्तन**

मैं, कैलाश लोट आत्मज स्व. श्री बाबूलाल, निवासी-म.नं. 26/ए, राधाकुंज खजूरी कलां, भोपाल, मध्यप्रदेश. मेरी सर्विस बुक में मेरा नाम श्री कैलास है। मेरा नाम कैलाश लोट है। जो कि सत्य एवं सही है। जो कि आधारकार्ड में लिखा है। यही नाम लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे।

पुराना नाम  
(कैलास)

नया नाम  
(कैलाश लोट)

(G-461)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स स्वरूप ऑटोमोबाईल्स, 810, राईट टाउन, जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 858, दिनांक 15-7-1965 है। उक्त फर्म में वर्तमान में 1. दीपक स्वरूप गुप्ता, 2. अंकित स्वरूप गुप्ता भागीदार थे, इसमें से दिनांक 10-4-2023 को श्री दीपक स्वरूप गुप्ता जी का स्वर्गवास हो जाने के कारण उक्त दिनांक से श्रीमती निहा गुप्ता फर्म में सम्मिलित हो रही हैं। जिसमें किसी भी व्यक्ति/फर्म/संस्थान को आपत्ति हो तो वह सात दिवस के अन्दर फर्म कार्यालय में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

मेसर्स स्वरूप ऑटोमोबाईल्स,  
(अंकित स्वरूप गुप्ता)  
भागीदार,  
पता-810, राईट टाउन,  
जबलपुर (म.प्र.)

(G-462)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कीन एन एबल सिस्टम्स फर्म में श्री नीलेश माहेश्वरी पिता श्री गोपाल दास माहेश्वरी तथा श्रीमती आरती माहेश्वरी पति श्री नीलेश माहेश्वरी दोनों निवासी-209, मलय रेसीडेंसी, आशीष नगर बंगाली स्क्वायर के पास इंदौर (म.प्र.) स्वेच्छा से दिनांक 16-3-2023 से सम्मिलित हो गए हैं तथा उपरोक्त फर्म के दोनों अन्य भागीदारी श्री समीर तिवारी पिता श्री अर्जुन कुमार तिवारी, निवासी बी एच 27 ए स्कीम नंबर 74 सीए, विजय नगर ए इंदौर (म.प्र.) तथा श्री प्रणय चौधरी पिता श्री मोहनलाल चौधरीए, निवासी 188-बी, स्कीम नंबर 140-ए, पंजाब नेशनल बैंक के सामने इंदौर (म.प्र.) स्वेच्छा से दिनांक 17-3-2023 से पृथक हो गए हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो, सूचना प्रकाशन दिनांक से 7 दिवसों में निम्न पते पर सूचित करें।

मेसर्स कीन एन एबल सिस्टम्स,  
(नीलेश माहेश्वरी)  
पार्टनर  
पता-403, ट्रेड हाउस, 14/3,  
साउथ तुकोगंज, इंदौर (म.प्र.)

(G-463)



**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मुझ प्रार्थी सतेन्द्र सिंह तोमर की पुत्री अपर्णा तोमर माता का नाम श्रीमती सोनिया तोमर, निवासी जी-1, प्रथम तल सृजन अपार्टमेंट, श्रुति इनक्लेव, प्लॉट नं. 66, द्वारिकापुरी, ग्वालियर (म.प्र.) का आधार कार्ड जिसमें मेरी पुत्री का नाम राधिका तोमर अंकित हो गया है. जबकि मेरी पुत्री अपर्णा तोमर के जन्म प्रमाण-पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेजों समग्र आई.डी. आदि में मेरी पुत्री का नाम अर्पणा तोमर अंकित है. जो सत्य व सही है, अतः मेरी पुत्री के आधार कार्ड में उसका नाम राधिका तोमर के स्थान पर अर्पणा तोमर किया जावे व भविष्य में उसे अर्पणा तोमर के नाम से जाना-पहचाना, पढा-लिखा जावे.

आवेदक

(सतेन्द्र सिंह तोमर)

(G-464)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम प्रनीता भार्गव कुमार पत्नी दीपक कुमार कान्दीकटी बालाजी था. न्यायालय से तलाक उपरान्त मुझे पूर्व नाम प्रनीता भार्गव पुत्री स्व. रामनरेश भार्गव के नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

भवदीय

(प्रनीता भार्गव)

पुत्री-स्व. रामनरेश भार्गव,

पता-बंगला नं. 21, दिव्या चिनार,

फार्च्यून सिटी, होशंगाबाद रोड,

भोपाल (म.प्र.).

(G-465)

**उपनाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, पूर्व में मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम शैलेन्द्र कुमार दुबे आ. श्री रिपुसूदन प्रसाद दुबे था. जो कि गलत है. वर्तमान में मेरी मार्कशीट के आधार पर मैंने अपना नाम आधार कार्ड पर संशोधित कर लिया है. जिसमें सही नाम शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी अंकित कर लिया है. वर्तमान में मेरा यही नाम है और मैं, शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी के नाम से ही जाना व पहचाना जाता हूँ जो कि वर्तमान में मेरे सभी दस्तावेजों में अंकित है.

पुराना नाम

(शैलेन्द्र कुमार दुबे)

नया नाम

(शैलेन्द्र कुमार द्विवेदी)

पता-मकान नं.-52, शंकर गार्डन,

सुभाष कॉलोनी, अशोका गार्डन,

भोपाल (म.प्र.).

(G-466)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरा नाम हरिद्वार प्रजापत पिता शिवपूजन प्रजापत है. मेरे संबंधित समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम हरिद्वार प्रजापत दर्ज है. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रिकार्ड में मेरा नाम हरिद्वार शर्मा लिखा हुआ है. जो कि गलत है. मेरा सही नाम हरिद्वार प्रजापत है तथा मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

(हरिद्वार शर्मा)

नया नाम

(हरिद्वार प्रजापत)

(G-467)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक फर्म मेसर्स बरडिया फूड्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक-01-01-01-00111-05 सन् 2005-2006, दिनांक 9-8-2005 जिसका पता- 5-ए, सेक्टर (एफ) इण्डस्ट्रियल एरिया, गोविन्दपुरा, भोपाल है का पंजीयन असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एंड सोसायटी भोपाल में हुआ था. जिसमें दो भागीदार क्रमशः दिनेश परमार आत्मज श्री नागुजी परमार, निवासी-ग्राम पलसोडा, जिला-रतलाम (म.प्र.) एवं श्री मनोज सैनी आत्मज श्री गिरधारी लाल सैनी, निवासी-जे-28, पंचशील नगर, इन्दौर (म.प्र.) द्वारा 5 जुलाई 2005 से संचालित किया जा रहा था मगर दिनांक 1 अप्रैल 2022 को भागीदार श्री मनोज सैनी आत्मज श्री गिरधारीलाल सैनी उक्त फर्म से अपना समस्त हिस्सा लेकर पृथक हो चुके हैं. उक्त फर्म से उनका कुछ भी लेना देना शेष नहीं है और उसी दिनांक अर्थात् 1 अप्रैल 2022 को नये भागीदार श्री रितेश जैन आत्मज श्री दीपचन्द्र जैन, निवासी-जीवनदीप कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.) उक्त फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं.

मेसर्स बरडिया फूड्स,

(दिनेश परमार)

भागीदार.

(G-468)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s PARTNERS REALITY पता- H.NO. 07, STERLING, GLOBE GRAND PHASE-3, JATKHEDI ROAD, NEAR ASHIMA MALL, BHOPAL पंजीयन क्रमांक 01-01-01-0281/23, दिनांक 10-12-2023 है. दिनांक 5-1-2024 को भागीदारी Mr. RAKESH KAMRA S/o Mr. SURESH KAMRA R/o H. No.-176, RAJA BHOJ, MAHAVEER COLONY, OBEDULLAGANJ, NOOR JAHAN GANJ, RAISEN (M.P.) भागीदारी फर्म से पृथक हुए. दिनांक 5-1-2024 को Mr. IRFAN HUSAIN S/o LATE Mr. ALI HUSAIN R/o KOTWALI CHOURAHA, SEHORE एवं Mr. SHABBIR SEHOREWALLA S/o Mr. ABDUL HUSAIN SEHOREWALLA, R/o FLAT NO-402, JUPITER TOWER, 4<sup>th</sup> FLOOR, NESBIT ROAD, MAZGAON, MUMBAI भागीदारी फर्म में सम्मिलित हुए.

M/s PARTNERS REALITY,

(IRFAN HUSAIN)

Partner

Kotwali Chouraha, Sehore (M.P.).

(G-469)

**जाहिर सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अधीन रजिस्टर्ड फर्म M/s ASIAN MULTI SPECIALITY HOSPITAL, पता-09, BUILDING NO. 09, SANT KANWARRAM, NAGAR, D-SECTOR, TEELA JAMALPURA, NEAR DIG BUNGLOW, BERASAI ROAD, BHOPAL M.P. REG. NO. 01-01-01-0478/2023, date-23-2-2023 भागीदारी फर्म में दिनांक 12-1-2024 को श्री राहुल जैन पुत्र श्री सुरेश कुमार जैन, निवासी-मकान नं. 61, वार्ड नं. 33, बी. टी. आई, रोड, राम सहाय कॉलोनी, विदिशा. (म.प्र.) एवं श्री नवल किशोर चौबे पुत्र श्री विश्वनाथ चौबे, निवासी-मकान. नं. 28, गली. नं. 02, पार्श्वधाम कॉलोनी, भानपुर, भोपाल (म.प्र.) को सम्मिलित किया गया. दिनांक 12-1-2024 को फर्म का कार्यालय पता परिवर्तन कर प्लॉट. नं. 06, डी-सेक्टर, डी. आई. जी. बंगला के पीछे, जमालपुरा, बैरसिया रोड, भोपाल (म.प्र.) कर लिया गया है.

M/s Asian Multi Speciality Hospital,

(ज्योति जैन)

पार्टनर

294, शिव मंदिर के पास, लीलाधर कॉलोनी,

विदिशा रोड, भानपुर, भोपाल (म.प्र.).

(G-470)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, सतीवान लाल Satiwan Lal सुपुत्र स्वर्गीय श्री प्रेमो मल, निवासी-सी-202, सिग्नेचर 99, जे.के. हॉस्पिटल के पास कोलार मार्ग, तहसील-हुजूर, भोपाल (म.प्र.) ने अपना नाम सतीवान लाल से बदलकर सतीवान मोर्डिया Satiwan Mordia से ही लिखा व पढ़ा जावे।

पुराना नाम  
(सतीवान लाल)

नया नाम  
(सतीवान मोर्डिया)

(G-471)

## नाम परिवर्तन

मैं, राधेश्याम भाटी आत्मज उमराव सिंह भाटी सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा नाम राधेश्याम भाटी है और मेरा बचपन में दुर्गाप्रसाद के नाम से पुकारते थे. जो मेरे राजस्व दस्तावेजों में दर्ज है. आधार कार्ड एवं सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्रों में मेरा नाम राधेश्याम भाटी अंकित है. राधेश्याम भाटी और दुर्गाप्रसाद भाटी दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं यानी की मेरे. भविष्य में मुझे राधेश्याम भाटी के नाम से ही जाना-पहचाना एवं पढ़ा लिखा जाए.

पुराना नाम  
(दुर्गाप्रसाद भाटी)

नया नाम  
(राधेश्याम भाटी)  
पता-ग्राम मुंगालिया हाट,  
तहसील हुजूर, जिला भोपाल.

(G-472)

## नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम कुषराज नागर, (Kushraj Nagar) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मेरे पुत्र एकलव्य नागर, (Eklavya Nagar), निवासी-006, पोस्ट आफिस, मना पिपलिया, तह. बागली, जिला देवास (म.प्र.) 455257 के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जावेगा एवं शासकीय, अशासकीय कार्यालय में अंकित करवाया जावेगा.

प्रार्थी  
(रविन्द्र नागर)  
(RAVINDRA NAGAR)

(G-473)

## नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती रसना नायक पुत्री श्री पी. एन. नायक, आयु व्यस्क, निवासी-मकान नंबर 33-ए, रत्नागिरि, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.). मेरे पुत्र का विद्यालय सहित अन्य दस्तावेजों में घरेलू नाम अवीर सामल त्रुटिवश दर्ज किया हुआ है. मेरे पुत्र का असल व सही नाम कृशिव नायक है. शैक्षणिक एवं समस्त शासकीय/अशासकीय अभिलेख में मेरे पुत्र का सही नाम कृशिव नायक दर्ज कर भविष्य में मेरे पुत्र को कृशिव नायक के नाम से जाना व पहचाना जायेगा.

पुराना नाम  
(अवीर सामल)

नया नाम  
(कृशिव नायक)

(G-474)

## CHANGE OF NAME

This is notify to the public that I, Lizamma Sabu alias Lizamma Sebastian alias Lizy Sabu alias Lissy, Resident of House Number 77, Soumya Estate, Awadhपुरी, Near Vidhya Sagar Institute, VTC, Huzur, PO Bhel, Bhopal Madhya Pradesh. Earlier I was known by all the above mentioned names in my government, non-government records, Bank etc. I will henceforth be known and identified as Lizamma Sabu. My changed name is Lizamma Sabu wife of Late Mr SABU M V alias Moolan Varghese Sabu (daughter of Late Mr Sebastian Vellilappilly) Now, onwards I will be known and identified as Lizamma Sabu for all purposes.

Old Name

New Name

(Lizamma Sabu, Lizamma Sebastian, Lizy Sabu, Lissy)  
(G-475)

(Lizamma Sabu)

**नाम परिवर्तन**

मैं, श्रीमती रानी वंशकार पत्नी श्री विशाल सिंह वंशकार सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह विशाल सिंह वंशकार के साथ संपन्न हुआ है. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम त्रुटिवश चन्द्रवती पत्नी विशाल वंशकार, पता खामखेडा कस्बा, विदिशा (म.प्र.) अंकित हो गया है. जबकि मेरा वास्तविक नाम रानी वंशकार है. अतः भविष्य में मुझे श्रीमती रानी वंशकार पत्नी श्री विशाल सिंह वंशकार के नाम से जाना-पहचाना जाए.

पुराना नाम  
(चन्द्रवती वंशकार)

(G-476)

नया नाम  
(रानी वंशकार)

निवासी-मकान नंबर 297, वल्लभनगर  
क्र.-1,वार्ड नंबर 34, सतपुड़ा भवन रोड,  
भोपाल, (म.प्र.).

**नाम परिवर्तन**

मैं, विनोद गोयल पुत्र झम्मू लाल गोयल सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पत्नी का घर का नाम गुड्डी गोयल (GUDDI GOYAL) था. जो मेरी पत्नी की भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्वालियर की दो पॉलिसियों में लिखा गया है. मैं, विनोद गोयल मेरी पत्नी की भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्वालियर की दो पॉलिसियों में नोमिनेशन (उत्तराधिकारी) के रूप में मेरा नाम लिखा गया है. जबकि मृत्यु पूर्व एवं उपरांत मेरी पत्नी को ममता गोयल (MAMTA GOYAL) के नाम से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता था एवं जाएगा. जो मेरी पत्नी के आधार कार्ड, पेनकार्ड इत्यादि अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. अतः मेरी पत्नी की भारतीय जीवन बीमा निगम, ग्वालियर की दो पॉलिसियों में मेरी पत्नी का नाम गुड्डी गोयल के स्थान पर ममता गोयल लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम  
(गुड्डी गोयल)

(G-477)

नया नाम  
(ममता गोयल)

सूचनाकर्ता  
विनोद गोयल,  
पुत्र-झम्मू लाल गोयल,  
104, सुभम अपार्टमेन्ट नोगजा रोड,  
शिन्दे की छावनी, ग्वालियर (म.प्र.).

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स महेश उमेश एण्ड कम्पनी, मुरैना जो म. नं. 25/284, तुलसी कॉलोनी, गली नं. 3, गणेशपुरा, मुरैना (म.प्र.) में स्थित है, जिसका पंजीयन क्र. 02-44-01-00075-11, दिनांक 23-06-2011 है, जिसमें दिनांक 14-10-2023 को भागीदार श्रीमती कुशमा देवी पत्नी श्री थान सिंह भदौरिया, निवासी-तुलसी कॉलोनी, मुरैना, (2) श्री महेश सिंह भदौरिया पुत्र श्री थान सिंह भदौरिया, निवासी-तुलसी कॉलोनी, मुरैना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं.

मेसर्स महेश उमेश एण्ड कम्पनी, मुरैना,  
(महेश सिंह सिकरवार)  
भागीदार  
पता-म. नं. 25/284, तुलसी कॉलोनी, गली नं. 3,  
गणेशपुरा, मुरैना (म.प्र.).

(G-478)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बिल्डरेंजल जो बी-9, गांधी नगर, पड़ाव, ग्वालियर में है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02-42-01-0204-19, दिनांक 18-10-2019 है. जिसमें दिनांक 17-10-2023 को भागीदार श्री हरीकिशन थागले पुत्र श्री लक्ष्मीकांत थागले एवं भागीदार श्री धर्मेन्द्र भारद्वाज पुत्र श्री श्याम सुन्दर भारद्वाज फर्म से सभी भागीदारों की सहमति से पृथक् हो रहे हैं एवं इसी दिनांक से सरोज भारद्वाज पत्नी श्री धर्मेन्द्र भारद्वाज एवं नमन भारद्वाज पुत्र श्री धर्मेन्द्र भारद्वाज फर्म में सभी भागीदारों की सहमति से नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो रहे हैं.

फर्म मेसर्स बिल्डरेंजल,

(सरोज भारद्वाज)

भागीदार

पता-बी-9, गांधी नगर, पड़ाव,

ग्वालियर (म.प्र.).

(G-479)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे संरक्षित पुत्र का नाम उत्कृष्ट सिंह पंवार पिता स्व. श्री चेतन वर्मा है, जो कि उसके सभी शासकीय, अशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है. भविष्य में मेरे संरक्षित पुत्र उत्कृष्ट नागर (Utkrasht Nagar) (पुत्र स्व. चेतन वर्मा) संरक्षक श्री गीत कुमार नागर के नाम से जाना-पहचाना जावे.

भवदीय,

(उत्कृष्ट नागर)

(Utkrasht Nagar)

पुत्र-स्व. चेतन वर्मा,

संरक्षक-श्री गीत कुमार नागर.

(G-480)

**नाम परिवर्तन**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र समीर रहेजा के स्कूल के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश माता का नाम साक्षी रहेजा (SAKSHI RAHEJA) लिखा गया है जिसे बदलकर रीना रहेजा (REENA RAHEJA) कर लिया है. अतः मेरे पुत्र के स्कूल अभिलेख में माता का नाम रीना रहेजा (REENA RAHEJA) पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(साक्षी रहेजा)

नया नाम

(रीना रहेजा)

निवासी-फ्लेट नं. 104, गोकुल रेसिडेंसी,

1051, वीर सावरकर नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(G-481)

**आम सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स कनक कंस्ट्रक्शंस पार्टनरशिप फर्म के रूप में सहायक पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इंदौर में पंजीकृत है. यह कि दिनांक 05-03-2022 को फर्म में श्रीमती उमा अग्रवाल पति श्री ओमप्रकाश अग्रवाल, निवासी-11/2, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (मध्यप्रदेश) एवं श्री जगप्रीत सिंह अरोरा पिता श्री जसबीर सिंह अरोरा, निवासी-357, विष्णुपुरी एनेक्स, इन्दौर (मध्यप्रदेश) को फर्म में नये साझेदार के रूप में सर्व सहमति से शामिल हुये हैं एवं इसी दिनांक से श्री मनमोहन सिंह सलूजा पिता श्री जोध सिंह सलूजा, श्री मनमीत सिंह सलूजा पिता श्री मनमोहन सिंह सलूजा एवं श्रीमती स्वरणजीत कौर सलूजा पति श्री मनमोहन सिंह सलूजा, तीनों निवासी 861/1/5, बिजलपुर, ट्रेजर टाउन, इंदौर (मध्यप्रदेश) ने स्वेच्छा से, फर्म से साझेदार के रूप में त्याग-पत्र दिया है. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अंतर्गत पालनार्थ सर्वसूचना है.

M/s Kanak Constructions,

(SUBHASH CHANDRA KATARIYA)

Partner

(G-482)

**विविध****न्यायालयों की सूचनाएं**

न्यायालय, रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, शाजापुर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

प्र.क्र. 0002/बी-113/2023-24.

शाजापुर, दिनांक 14 फरवरी, 2024

(प्रारूप-चार)

[नियम-5(1) देखें]

[मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 5(2) (1951 का 30) और

मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्याय नियम, 1962 के नियम 5(1) के द्वारा]

लोक न्यासों के पंजीयक श्री नरेन्द्रनाथ पाण्डेय, जिला शाजापुर के समक्ष.

जबकि श्री संजय राठोर पिता बनवारीलाल जी, निवासी वजीरपुरा, शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) ने मध्यप्रदेश/छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये एक आवेदन लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये किया है एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन वर्ष 2024 के दिनांक 13 मार्च, 2024 पर मेरे द्वारा न्यायालय के विचारण में लिया जाएगा.

अतः, मैं, नरेन्द्रनाथ पाण्डेय, जिला शाजापुर के लोक न्यासों का रजिस्ट्रार अपने न्यायालय में दिनांक 13 मार्च, 2024 को उक्त अधिनियम, की धारा 5 के उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जाँच करने की प्रस्थापना करता हूँ.

किसी आपत्तियों (या सुझाव) को करने का आशय रखते हुए उक्त न्यास या संपत्ति के मामले में हित रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समझ उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिगत अथवा वकील द्वारा या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा:—

**अनुसूची**

लोक न्यास का नाम राठौर क्षत्रिय समाज शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर, तहसील व जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

**परिशिष्ट "अ"**

न्यास की चल संपत्ति का विवरण

नगदी राशि 7,68,172/- सात लाख अड़सठ हजार, एक सौ बहत्तर रुपये व मूर्ति एवं बर्तन सामग्री

**परिशिष्ट "ब"**

न्यास की अचल संपत्ति का विवरण

नगर शाजापुर स्थित वार्ड क्र. 11 भवन क्रमांक 123 मोहल्ला तेलीवाडा, शाजापुर, रकबा 356 वर्गफीट श्रीराम मंदिर क्षत्रिय समाज के नाम से दर्ज है एवं तेलीवाडा में धर्मशाला कुल क्षेत्रफल 4740 वर्गफीट एवं अन्य भवन वार्ड क्र. 11, तेलीवाडा में क्षेत्रफल 3920 वर्गफीट.

आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

नरेन्द्र नाथ पाण्डेय,  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(G-483)

## अन्य सूचनाएं

कार्यालय, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 9 फरवरी, 2024

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

किसान सहकारी शीतगृह एवं बर्फ फेक्ट्री मर्या.,

सागर, विकासखण्ड सागर.

क्र./परि.-2024-128.-किसान सहकारी शीतगृह एवं बर्फ फेक्ट्री मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 24, दिनांक 30-12-1966 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार:-

1. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है. सोसायटी का मुख्य उद्देश्य कृषकों की सुविधा हेतु शीतगृह का संचालन करना है, किन्तु समिति द्वारा शीतगृह का संचालन नहीं किया जा रहा है.
2. सोसायटी के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 18-7-2021 को समाप्त हो गया है, किन्तु सोसायटी द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है.

अतः उपर्युक्त कारण के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्ड्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26-07-1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान सहकारी शीतगृह एवं बर्फ फेक्ट्री मर्या., सागर, विकासखण्ड सागर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे.

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 9 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-484)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

खमकुआ, विकासखण्ड जैसीनगर.

क्र./परि.-2024-129.-प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., खमकुआ, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 666, दिनांक 13-02-1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार:-

1. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है.

2. सोसायटी के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 19-5-2021 को समाप्त हो गया है, किन्तु सोसायटी द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः, उपर्युक्त कारण के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26-07-1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., खमकुआ, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 9 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-485)

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रशासक/प्रबंधक,

प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या.,

टेकापार, विकासखण्ड जैसीनगर.

क्र./परि.-2024-130.-प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., टेकापार, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 667, दिनांक 13-2-1997 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम एवं उपविधि के अधीन रजिस्ट्रीकरण एवं प्रबंध के बारे में उल्लेखित शर्तों का अनुपालन बंद करते हुए सोसायटी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं उपविधियों के अनुसार:-

1. सोसायटी ने अपना कार्य करना बंद कर दिया है।

2. सोसायटी के संचालक मण्डल का कार्यकाल दिनांक 18-10-2021 को समाप्त हो गया है, किन्तु सोसायटी द्वारा आज दिनांक तक निर्वाचन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।

अतः उपर्युक्त कारण के कारण सोसायटी का परिसमापन किये जाने हेतु कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 सी, भोपाल, दिनांक 26-7-1999 के अनुसार रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां मध्यप्रदेश, भोपाल की उपरजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियां, सागर को प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक प्रक्षेत्र वानिकी सहकारी समिति मर्या., टेकापार, विकासखण्ड जैसीनगर, जिला सागर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर युक्तियुक्त अवसर प्रदाय किया जाता है कि क्यों न उपर्युक्त वर्णित कारणों के आधार पर सोसायटी का परिसमापन करने का आदेश जारी कर दिया जावे।

यदि इस संबंध में आप अपना प्रत्युत्तर या जवाब प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इस कारण बताओ सूचना-पत्र के जारी होने के 15 दिवस के भीतर मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, निर्धारित समयवधि में प्रत्युत्तर/जवाब प्राप्त नहीं होने की स्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर परिसमापन का आदेश जारी कर दिया जावेगा।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 9 फरवरी, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

(G-486)



सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-131.-महिला आजीविका एवं प्रक्रिया, सहकारी समिति मर्या., केसली, वि.खं. केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1457, दिनांक 5-1-2013 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-680, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला आजीविका एवं प्रक्रिया सहकारी समिति, मर्या., केसली, वि.खं. केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1457, दिनांक 5-1-2013 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-487)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-132.-विश्वास ई-रिक्शा परिवहन सहकारी संस्था मर्या., सागर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1552, दिनांक 28-11-2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-681, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत विश्वास ई-रिक्शा परिवहन सहकारी संस्था मर्या., सागर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1552, दिनांक 28-11-2016 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती आशा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-488)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-133.-अनन्त सर्वोदय ई-रिक्शा परिवहन सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1556, दिनांक 14-1-2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-682, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत अनन्त सर्वोदय ई-रिक्शा परिवहन सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1556, दिनांक 14-1-2017 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती आशा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-489)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-134.-मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रतौना, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1147, दिनांक 27-8-2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-683, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मत्स्य उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रतौना, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1147, दिनांक 27-8-2004 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री मोतीलाल कोरी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-490)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-135.-ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मढ़ैया, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1125, दिनांक 30-6-2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-684, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ग्रामीण मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., मढ़ैया, वि.खं. राहतगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1125, दिनांक 30-6-2004 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रिदम जैन, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-491)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-136.-मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बांदरी, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 444, दिनांक 28-7-1988 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-687, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., बांदरी, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 444, दिनांक 28-7-1988 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री मोतीलाल कोरी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-492)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-140.-मछली पालन सहकारी समिति मर्या., हनौता, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1228, दिनांक 27-10-2006 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-688, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मछली पालन सहकारी समिति मर्या., हनौता, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1228, दिनांक 27-10-2006 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-493)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-141.-मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., अमावनी, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1410, दिनांक 1-2-2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-689, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., अमावनी, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1410, दिनांक 1-2-2012 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-494)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-142.-मछुआ सहकारी समिति मर्या., गूगराखुर्द, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1456, दिनांक 18-9-2012 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-690, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., गूगराखुर्द, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1456, दिनांक 18-9-2012 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रामजी खरे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-495)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-143.-मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., जालमपुर, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1466, दिनांक 16-9-2013 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-691, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मत्स्य पालन सहकारी समिति मर्या., जालमपुर, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1466, दिनांक 16-9-2013 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रामजी खरे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-496)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-144.-जय गंगे मछुआ सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1467, दिनांक 28-9-2013 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-692, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत जय गंगे मछुआ सहकारी समिति मर्या., कनेरादेव, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1467, दिनांक 28-9-2013 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री प्रभाकर कण्डया, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-497)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-145.-मछली सहकारी समिति मर्या., बजरेड़ा, वि.खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1515, दिनांक 02-12-2014 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-693, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मछली सहकारी समिति मर्या., बजरेड़ा, वि.खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1515, दिनांक 02-12-2014 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रामजी खरे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-498)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-146.-जलतरंग मछुआ सहकारी समिति मर्या., पुतर्रा, वि.खं. केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1524, दिनांक 18-6-2015 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-694, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत जलतरंग मछुआ सहकारी समिति मर्या., पुतर्रा, वि.खं. केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1524, दिनांक 18-6-2015 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री भगवतशरण चौबे, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-499)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-147.-मछुआ सहकारी समिति मर्या., खैराना, वि.खं. रहली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1530, दिनांक 15-12-2015 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-695, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., खैराना, वि.खं. रहली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1530, दिनांक 15-12-2015 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री सी. एस. झा., वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-500)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-148.-मछुआ सहकारी समिति मर्या., बाछलोन, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1544, दिनांक 28-6-2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-696, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., बाछलोन, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1544, दिनांक 28-6-2016 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती आशा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-501)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-149.-मछुआ सहकारी समिति मर्या., कर्णपुर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 284, दिनांक 13-4-1973 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-697, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., कर्णपुर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 284, दिनांक 13-4-1973 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत कु. दीप्ति गुजरया, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-502)



सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-150.-बिहारी मछुआ सहकारी समिति मर्या., मंजला, वि.खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 20-9-2016 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-698, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत बिहारी मछुआ सहकारी समिति मर्या., मंजला, वि.खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 20-9-2016 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-503)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-151.-मछुआ सहकारी समिति मर्या., छेवला, वि.खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1986, दिनांक 27-12-2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-699, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मछुआ सहकारी समिति मर्या., छेवला, वि.खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1986, दिनांक 27-12-2018 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-504)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-152.-माँ शारदा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1531, दिनांक 28-12-2015 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-700, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत माँ शारदा ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., शाहगढ़, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1531, दिनांक 28-12-2015 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री राधेश्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-505)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-153.-ग्रामीण विकास साख सहकारी समिति मर्या., रोड़ा, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1521, दिनांक 9-4-2015 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-701, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत ग्रामीण विकास साख सहकारी समिति मर्या., रोड़ा, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1521, दिनांक 9-4-2015 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री मोतीलाल कोरी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-506)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-154.-दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 751, दिनांक 13-7-1999 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-702, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सागर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 751, दिनांक 13-7-1999 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-507)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-155.-मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., सागर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1311, दिनांक 18-6-2008 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-703, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत मृत्युंजय प्राथमिक सहकारी प्रिंटिंग प्रेस मर्या., सागर, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1311, दिनांक 18-6-2008 को परिसमापन में लाता हूँ, साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री राधे श्याम गुप्ता, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-508)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-156.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनैका, वि.खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 802, दिनांक 17-4-2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-704, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., विनैका, वि.खं. बण्डा, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 802, दिनांक 17-4-2002 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रामजी खरे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-509)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-169.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., महूना, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 883, दिनांक 27-7-2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-4-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-705, सागर, दिनांक 28-4-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., महूना, वि.खं. शाहगढ़, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 883, दिनांक 27-7-2002 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री रामजी खरे, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-510)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-170.-इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., केसली, वि.खं. केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 948, दिनांक 27-9-2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-706, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत इंदिरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., केसली, वि.खं. केसली, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 948, दिनांक 27-9-2002 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री भगवतशरण चौबे, उप अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-511)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-172.-श्री शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रमगढ़ा, वि.खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 999, दिनांक 26-12-2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-707, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत श्री शारदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रमगढ़ा, वि.खं. देवरी, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 999, दिनांक 26-12-2002 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री राकेश कुमार जैन, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-512)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-173.-लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड़कलखाती, वि.खं. बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 4-6-2002 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-708, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत लक्ष्मी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हड़कलखाती, वि. खं. बीना, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 836, दिनांक 4-6-2002 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री प्रभाकर कण्ड्या, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-513)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-174.-अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बांदरी, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1054, दिनांक 8-7-2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-709, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बांदरी, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1054, दिनांक 8-7-2003 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री मोतीलाल कोरी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-514)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-175.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमराकाछी, वि.खं. खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1065, दिनांक 1-9-2003 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-710, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सेमराकाछी, वि.खं. खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1065, दिनांक 1-9-2003 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-515)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-176.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जामुकेशर, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 7-1-2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-711, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जामुकेशर, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1080, दिनांक 7-1-2004 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री मोतीलाल कोरी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-516)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-177.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नगदा, वि.खं. खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1193, दिनांक 13-4-2005 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-712, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नगदा, वि.खं. खुरई, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1193, दिनांक 13-4-2005 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार चन्द्राकर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-517)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-178.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढाबरी, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 25-3-2004 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-713, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., ढाबरी, वि.खं. मालथौन, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1104, दिनांक 25-3-2004 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्री मोतीलाल कोरी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-518)



सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-179.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुरखी, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1568, दिनांक 31-5-2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-714, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., सुरखी, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1568, दिनांक 31-5-2017 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती आशा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-519)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-180.—महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नयाखेड़ा, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1569, दिनांक 22-7-2017 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-715, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., नयाखेड़ा, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1569, दिनांक 22-7-2017 को परिसमापन में लाता हूँ साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती आशा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-520)

सागर, दिनांक 9 फरवरी 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत]

क्र./परि.-2024-181.-महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गोसरा, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1571, दिनांक 21-8-2018 (जिसे आगे समिति कहा गया है) को कार्यालय, सहायक पंजीयक (अंकेक्षण), सहकारी संस्थाएं, सागर के पत्र क्र. अंकेक्षण-2022-703, सागर, दिनांक 26-04-2022 से अकार्यशील होना लेख किया गया है. संस्था के अकार्यशील होने के कारण इस कार्यालय से कारण बताओ सूचना-पत्र क्र.-परिसमापन-2023-716, सागर, दिनांक 28-04-2023 जारी कर समिति को परिसमापन में लाये जाने की कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए 15 दिवस के अन्दर कारण बताओ सूचना-पत्र का उत्तर चाहा गया था.

कारण बताओ सूचना-पत्र का समिति द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो जाता है.

अतः मैं, परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियां, सागर, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. 5-1-99-पन्द्रह 1 सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(1) के अन्तर्गत महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., गोसरा, वि.खं. सागर, जिला सागर, पंजीयन क्रमांक 1571, दिनांक 21-8-2018 को परिसमापन में लाता हूँ. साथ ही मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के अन्तर्गत श्रीमती आशा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 9 फरवरी 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया.

(G-521)

परशराम कावड़कर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

इसे वेबसाइट [www.govtpress.nic.in](http://www.govtpress.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च 2024—फाल्गुन 18, शक 1945

भाग 3 ( 2 )

सांख्यिकीय सूचनाएं

( कुछ नहीं )